

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई  
जोन क्र- 01 नेहरू नगर

क्र./लो.क.वि./जोन.क्र. 1/2023/1829


भिलाई, दिनांक 22/2/23

// रुचि की अभिव्यक्ति //

रुचि की अभिव्यक्ति के तहत नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-01 नेहरू नगर अंतर्गत ट्यूबलर पोल में पलैक्स लगाने का कार्य हेतु अधिक ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाएँ / ए.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से 01 वर्ष हेतु रुचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना आमंत्रित की जाती है।

आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रु. 5000.00 (प्रत्येक वार्ड के लिये अलग-अलग) का एफ.डी.आर. (किरसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) जोन आयुक्त जोन-01 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

प्राप्त ऑफर दिनांक 13.03.2023 को 5:30 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय ऑफर आमंत्रित कर दिनांक 14.03.2023 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। नियम एवं शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। (नियम शर्तों. निगम के वेबसाइट [www. bhilainagarnigam.com](http://www.bhilainagarnigam.com) में देखी जा सकती है।)


  
जोन आयुक्त  
(जोन-01)  
नगर पालिक निगम,  
भिलाई

# कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

## जोन-01 नेहरू नगर अनुविभाग

नगर पालिक निगम जोन-01 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न ट्यूबलर पोल स्थापित है जिसमें फ्लैक्स लगाने हेतु अधिक ऑफर पर इच्छुक संस्थायें/एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित अंतर्गत नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं।

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रु. 5000.00 (प्रत्येक वार्ड के लिये अलग-अलग) का एफ.डी.आर. जोन आयुक्त जोन-01 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।  
ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित ट्यूबलर पोलों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें।
3. फ्लैक्स का आकार (3X2) लम्बाई 3 एवं चौड़ाई 2 का होना चाहिये। प्रतिदिन प्रति फ्लैक्स के लिये 02 रूपये शुल्क मान्य होगा।  
आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमें सम्पूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।
5. उल्लेखित ट्यूबलर पोल का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।  
ट्यूबलर पोल में किसी तरह के नये कार्य करने के पूर्व निगम से योजना प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।  
ट्यूबलर पोल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।  
ट्यूबलर पोल के संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।  
ट्यूबलर पोल के फ्लैक्स के संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति की जिम्मेदारी समाज की होगी एवं दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
10. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्तें समाज को सर्वमान्य होगा।
11. ट्यूबलर पोल में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नहीं करेगा।
12. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी।
13. ट्यूबलर पोल में किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधि तथा कोई नशा इत्यादि फ्लैक्स लगाया जाना वर्जित होगा।
14. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।



जोन आयुक्त  
जोन-01  
नगर पालिक निगम,  
भिलाई